

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (जनरल फिजीशियन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में

मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।  
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:34:16

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से

- (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
  - 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
  - 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
  - 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
  - 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
  - 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
  - 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2375 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500020912	14	डा0 प्रवीण कुमार यादव पुत्र श्री राम धनी यादव	फिजिशियन	UR/OBC	29 पुष्पा सदन कृष्ण विहार कालोनी, उत्तरठिया बाजार, रायबरेली रोड़, लखनऊ- 226025	29 पुष्पा सदन कृष्ण विहार कालोनी, उत्तरठिया बाजार, रायबरेली रोड़, लखनऊ- 226025	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ
2	54500000486	20	डा0 महेश पाल सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह	फिजिशियन	UR/GEN	काशीरामपुर बदोला गली, काशीरामपुर नाजीबाबाद रोड़ पौड़ी गढवाल, उत्तराखण्ड- 246149	काशीरामपुर बदोला गली, काशीरामपुर नाजीबाबाद रोड़ पौड़ी गढवाल, उत्तराखण्ड- 246149	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:33:44

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (जनरल सर्जन) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।  
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:22:33

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

I/391676/2023

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2368 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500006949	1	डा0 प्रखर प्रताप पुत्र श्री शिव प्रताप श्रीवास्तव	सर्जन	UR/GEN	3312 विश्वास खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-226010	3312 विश्वास खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-226010	जिला चिकित्सालय, ट्रामा सेन्टर, बाराबंकी
2	54500010447	9	डा0 अजीत सिंह पुत्र श्री हरीशचन्द्र सिंह	सर्जन	UR/OBC	60190 बी02 भगमबरी गद्दी प्रयागराज-211006	ओरो सिटी विला नं0-157 जनकीपुरम विस्तार सेक्टर-जे0, लखनऊ-226022	राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय, साढ़ामऊ, लखनऊ
3	54500025759	11	डा0 राहुल जायसवाल पुत्र श्री अरुण जायसवाल	सर्जन	UR/OBC	अरुण मेडिकल स्टोर्स स्टेशन रोड गोरखपुर-273152	अरुण मेडिकल स्टोर्स स्टेशन रोड गोरखपुर-273152	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर
4	54500002411	12	डा0 मुक्तेश कुमार मौर्य पुत्र श्री जैद्रथ मौर्य	सर्जन	UR/OBC	480 राजेन्द्र नगर कालोनी, हरिहरगंज फतेहपुर-212601	480 राजेन्द्र नगर कालोनी, हरिहरगंज फतेहपुर-212601	जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट
5	54500013578	14	डा0 प्रतिभा वर्मा पुत्री/पत्नी श्री विनीष वर्मा	सर्जन	UR/GEN FEMALE	बालकृष्ण वर्मा ई-23 सेक्टर-15 नया मुरादाबाद, मुरादाबाद-244102	विजय कुमार सिंह, धामनी नियर स्टेशन रोड गर्हवा, झारखण्ड-822121	डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी(सिविल), चिकित्सालय, लखनऊ
6	54500009511	16	डा0 श्याम किशोर गुप्ता पुत्र श्री महेश्वरी दीन गुप्ता	सर्जन	UR/GEN	कुसमा देवी बबीना जगदीश मन्दिर के पास, जालौन-285203	कुसमा देवी बबीना जगदीश मन्दिर के पास, जालौन-285203	मण्डलीय जिला पुरुष चिकित्सालय, झॉसी
7	54500010775	37	डा0 अप्तित यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव	सर्जन	UR/OBC	680 सिविल लाईन्स इटावा उत्तर प्रदेश-206001	680 सिविल लाईन्स इटावा उत्तर प्रदेश-206001	जिला चिकित्सालय, मेनपुरी

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:21:38

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव ।



I/391712/2023

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (निश्चेतक) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

I/391712/2023

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:37:10

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

I/391712/2023

- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2376 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500011668	8	डा0 निकिता चौधरी, पुत्री/पत्नी श्री सुशील कुमार	निश्चेतक	UR/GEN FEMALE	सुरेश चौधरी वार्ड नं0-12 काला पीपल साजापुर, मध्य प्रदेश-465333	सुशील कुमार 1076 वसुंधरा सेक्टर-3, गाजियाबाद-201012	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत
2	54500013374	13	डा0 सोनिया कसौधन पुत्री/पत्नी श्री सुधीर कुमार राजक	निश्चेतक	UR/GEN FEMALE	बृज किशोर कसौधन 586 ख 341 रामा निवास साकेतपुरी कालोनी जलवायू विहार फेस-2 के पास लखनऊ-226002	बृज किशोर कसौधन 586 ख 341 रामा निवास साकेतपुरी कालोनी जलवायू विहार फेस-2 के पास लखनऊ-226002	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर
3	54500026943	18	डा0 प्रकृति मौर्या पुत्री/पत्नी श्री जयन्त मौर्या	निश्चेतक	UR/OBC FEMALE	स्व0 सुभाष चन्द्र मौर्या, सौरभ विहार कालोनी, अवलेशपुर वाराणसी-221106	जयन्त मौर्या कमरा नं-101, टी0जी0 हॉस्टल फ्रैकेल्टी आवास, खदरा, लखनऊ-226020	रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ
4	54500014975	47	डा0 उमेश कुमार पुत्र श्री काली चरण शर्मा	निश्चेतक	UR/EWS	रेसरी खैर अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202141	रेसरी खैर अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202141	बागला संयुक्त जिला चिकित्सालय, हाथरस
5	54500026679	49	डा0 राहुल देव पुत्र श्री पूरन सिंह	निश्चेतक	UR/SC	ग्राम व पोस्ट-चौउमा शाहापुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा-283110	ग्राम व पोस्ट-चौउमा शाहापुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा-283110	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी
6	54500010401	51	डा0 प्रमोद कुमार मिश्र पुत्र श्री राम कृष्ण मिश्रा	निश्चेतक	UR/GEN	अल्हादपुर बनी सुल्तानपुर-228131	एच-604 सिल्वर लार्डन अपार्टमेन्ट बी0बी0डी0 यूनिवर्सिटी के पास, लखनऊ-226028	डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ
7	54500019068	20	डा0 जितेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यवान यादव	निश्चेतक	UR/OBC	93 भाऊपुर सोनहिता, जौनपुर-222144	93 भाऊपुर सोनहिता, जौनपुर-222144	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी

Signed by धीरेन्द्र सिंह  
सचिव

Date: 20-09-2023 16:36:08

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:30:55

विशेष सचिव।

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2373 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500024404	63	डा0 पुष्पेन्द्र लता पत्नी/पुत्री श्री अमित अग्रहरि	नेत्ररोग	EWS/ FEMALE	ओम प्रकाश गुप्ता 11542 डी0एम0 बंगले के पास गोला घाट सुल्तानपुर- 228001	बी0-19 अलीगंज पुलिस थाना के पास, अलीगंज लखनऊ- 226016	राम सागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय, साढामऊ, लखनऊ

Signed by धीरेन्द्र सिंह  
सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:30:19

विशेष सचिव।

Reason: Approved



उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (पैथालॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।  
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:32:35

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से

- (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
  - 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
  - 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
  - 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
  - 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
  - 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
  - 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

I/391701/2023

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2374 /चि0-3-2022, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500007993	3	डा0 उर्वी अग्रवाल पुत्री/पत्नी श्री सचिन कुमार सिंघल	पैथालॉजिस्ट	GEN/EWS	नवीन अग्रवाल ए-33 ब्लाक ए सेक्टर-41 गौतमबुद्धनगर-201303	नवीन अग्रवाल ए-33 ब्लाक ए सेक्टर-41 गौतमबुद्धनगर-201303	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत

Signed by धीरेन्द्र सिंह  
सचान

Date: 20-09-2023 16:31:49

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के

जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।  
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:27:53

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के

स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2371 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500012144	41	डा0 प्रमोद कुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र	बालरोग	UR/GEN	भेरवा बैरारी बस्ती-272301	वसुन्धरा इन्केव फेज-3 ब्लॉक-1 प्लैट नं0-203 तारामण्डल गोरखपुर-273017	200 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, टाण्डा, अम्बेडकरनगर
2	54500020383	6	डा0 रिचा सिंह पुत्री/पत्नी श्री प्रशान्त कुमार मल्ल	बालरोग	UR/OBC FEMALE	936 सी0 अशोक नगर कालोनी, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015	936 सी0 अशोक नगर कालोनी, गोरखनाथ, गोरखपुर-273015	200 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, टाण्डा, अम्बेडकरनगर
3	54500005126	17	डा0 नरेन्द्र कुमार मौर्या पुत्र श्री श्याम कुमार मौर्या	बालरोग	UR/OBC	रामकरन मौर्या झूसी आर0एस0वाई0 इन्टर कालेज रोड, प्रयागराज-211019	रामकरन मौर्या झूसी आर0एस0वाई0 इन्टर कालेज रोड, प्रयागराज-211019	जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट
4	54500021452	19	डा0 केशव कुमार पुत्र श्री जोखूराम सोनकर	बालरोग	UR/SC	गोयेन्का धर्मशाला के पास विन्ध्यांचल मिर्जापुर-231307	गोयेन्का धर्मशाला के पास विन्ध्यांचल मिर्जापुर-231307	लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी
5	54500012579	24	डा0 कलश राम वर्मा पुत्र श्री तुलसीराम वर्मा	बालरोग	UR/OBC	ग्राम-पकडी भूवर पो0-दौलताबाद उत्तरौला पश्चिम डीह, बलरामपुर-271604	ग्राम-पकडी भूवर पो0-दौलताबाद उत्तरौला पश्चिम डीह, बलरामपुर-271604	जिला संयुक्त चिकित्सालय, श्रावस्ती
6	54500025458	37	डा0 ललित हरि प्रसाद सिंह पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद	बालरोग	UR/OBC	6 चॉद दाण्डी पो0- खुंदरा पीलीभीत-26001	6 चॉद दाण्डी पो0- खुंदरा पीलीभीत-26001	जिला महिला चिकित्सालय, बदायूं
7	54500011181	44	डा0 किशोर कुमार माथुर पुत्र श्री राधाकृष्ण माथुर	बालरोग	UR/SC	66-67 पूरन पुरी कालोनी, घरी भदौरिया, आगरा-282010	95, अंसल कोर्टयार्ड शास्त्रीपुरम्, अलीगढ़-282007	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी

Signed by धीरेन्द्र सिंह  
सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:27:23

विशेष सचिव।

Reason: Approved



उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:24:01 (धीरेन्द्र सिंह सचान)

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2369 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500020763	4	डा0 तनुज वर्मा पुत्र श्री अतुल कुमार वर्मा	मनोरोग	GEN/EWS	54 आर0बी0आर0 सी0 दास रोड़ बलरामपुर हाउस, प्रयागराज- 211001	54 आर0बी0आर0 सी0 दास रोड़ बलरामपुर हाउस, प्रयागराज- 211001	जिला संयुक्त चिकित्सालय, चित्रकूट
2	54500006046	9	डा0 अब्दुल हलीम पुत्र श्री अब्दुल मजीद	मनोरोग	OBC/PH	बेलवाजोर, गणेशपुर बरती-272002	बेलवाजोर, गणेशपुर बरती-272002	महात्मा ज्योतिबाफुले संयुक्त जिला चिकित्सालय, अम्बेडकरनगर

Signed by धीरेन्द्र सिंह ( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
सचान

Date: 20-09-2023 16:23:32 विशेष सचिव।

Reason: Approved

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (माइक्रोबायोलॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवार्यें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में

मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:29:25

विशेष सचिव।

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक , तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- १३७२ /चि०-३-२०२३, दिनांक २०.०९.२०२३ की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि० क्र०	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
1	54500007489	2	डा० सतेन्द्र सारास्वत पुत्र श्री डी०सी० सारास्वत	माइक्रोबायलॉजिस्ट	GEN / EWS	136/21 गली-6जे० गोंधी विहार, गुडगोंवा हरियाणा- 122001	रविन्द्र शर्मा 52/2 सेक्टर-3 विनय नगर ग्रीन गार्डन स्कूल के सामने ग्वालियर, मध्यप्रदेश- 474012	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Date: 20-09-2023 16:28:51

विशेष सचिव।

Reason: Approved



उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण

पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:19:47 ( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2367 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र. सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500016618	7	डा0 निधि सिंह पुत्री/पत्नी श्री कौशलेन्द्र प्रताप नारायण	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	जयराम सिंह 10019 ए शालीमार गर्डन इन्दिरानगर सेक्टर-8, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016	जयराम सिंह 10019 ए शालीमार गर्डन इन्दिरानगर सेक्टर-8, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016	जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी
2	54500010359	15	डा0 रिचा चौबे पुत्री/पत्नी श्री कौशलेश तिवारी	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	149 भगवती नगर ग्रामर एकडमी के सामने कौशलपुरी, खोजनपुर, अयोध्या-224001	149 भगवती नगर ग्रामर एकडमी के सामने कौशलपुरी, खोजनपुर, अयोध्या-224001	200 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, टाण्डा, अम्बेडकरनगर
3	54500010076	20	डा0 दुर्गा सिंह पुत्री/पत्नी श्री गौरव कुमार सिंह	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	डा0 सी0बी0 सिंह, एच0आई0जी0 37 सिद्धार्थ इन्चलेव तारामण्डल पेप्सी एजेंसी के पास गोरखपुर-273017	डा0 सी0बी0 सिंह, एच0आई0जी0 37 सिद्धार्थ इन्चलेव तारामण्डल पेप्सी एजेंसी के पास गोरखपुर-273017	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर
4	54500026527	21	डा0 रेनु पाण्डेय पुत्री/पत्नी श्री राजेश कुमार मिश्रा	स्त्रीरोग	EWS/ FEMALE	रामशंकर मिश्रा खजुरिया कला, भाईसही, गनपतगंज, सन्तकबीरनगर -272176	पी0पी0मिश्रा ए0 481 बुद्धविहार भाग-सी0 तारामण्डल रामपुर, गोरखपुर-273016	जिला संयुक्त चिकित्सालय, महाराजगंज
5	54500009238	24	डा0 इरा दुबे पुत्री/पत्नी श्री हिमांशु मिश्रा	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	राजेश चन्द्र दूबे 234 बी-1 शिवकुटी, सीता नर्सरी के पास, प्रयागराज-211004	राजेश चन्द्र दूबे 234 बी-1 शिवकुटी, सीता नर्सरी के पास, प्रयागराज-211004	200 शैय्या एम0सी0एच0 विंग, खोह, चित्रकूट
6	54500015123	25	डा0 खुशबू वर्मा	स्त्रीरोग	SC	चन्द्रभानू वर्मा,	चन्द्रभानू वर्मा,	100 शैय्या,

			पुत्री/पत्नी श्री अन्जनी गोपाल			551 केओ0 एम0-60, मधुबन नगर, नेशनल शिक्षा निकेतन स्कूल के पास लखनऊ- 226005	551 केओ0 एम0-60, मधुबन नगर, नेशनल शिक्षा निकेतन स्कूल के पास लखनऊ- 226005	जिला संयुक्त चिकित्सालय, हरदोई
7	54500018087	38	डा0 शुक्ला देबबर्मा पुत्री/पत्नी श्री अवनीश शर्मा	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	ब्लाक-पी0 म0न0-268 रिजर्व पुलिस लाईन, सहारनपुर- 247001	डी0ए0 604 डी0ए0 ब्लॉक सीसमहल अपार्टमेन्ट शालीमारबाग नार्थ वेस्ट दिल्ली-110088	240 शैय्या जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर
8	54500013268	43	डा0 निधि सिंह पुत्री/पत्नी श्री प्रशान्त कुमार सिंह	स्त्रीरोग	GEN/EWS FEMALE	विजय कुमार सिंह, धामनी नियर स्टेशन रोड़ गर्हवा, झारखण्ड- 822121	विजय कुमार सिंह, धामनी नियर स्टेशन रोड़ गर्हवा, झारखण्ड- 822121	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र
9	54500018607	47	डा ऑचल राठौर पुत्री/पत्नी श्री विजय कुमार राठौर	स्त्रीरोग	OBC/ FEMALE	बी0-5-1202 सी0एल0ई0ओ0 काउन्टी सेक्टर-121, गौतमबुद्धनगर- 201301	बी0-5-1202 सी0एल0ई0ओ0 काउन्टी सेक्टर-121, गौतमबुद्धनगर- 201301	100 शैय्या, एम0सी0एच0 विंग जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:18:38 ( धीरेन्द्र सिंह सचान )

Reason: Approved

विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2023  
कार्यालय जाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 30प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु 30प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 6600/- चिकित्साधिकारी (ई0एन0टी0) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। परीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जाएगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- 5- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती के

जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
  - (2) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।  
संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:25:44

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारी के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था कराये तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक

विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

- 6- अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 11- सम्बन्धित कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 12- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 13- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
( धीरेन्द्र सिंह सचान )  
विशेष सचिव।



कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2370 /चि0-3-2023, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 की तैनाती सूची

क्र.सं.	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	विशेषज्ञता	श्रेणी	गृह जनपद का पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	54500006347	12	डा0 दीप्ति पाण्डेय पुत्री/पत्नी श्री यतिन्द्र	ई0एन0टी0	GEN/EWS FEMALE	डी0एल0 पाण्डेय एन0-13209-जे0-12-बी0 जयश्री सदन जीवन नगर कालोनी, बृज इन्केव बजरडीहा, वाराणसी-221005	डी0एल0 पाण्डेय एन0-13209-जे0-12-बी0 जयश्री सदन जीवन नगर कालोनी, बृज इन्केव बजरडीहा, वाराणसी-221005	महाराजा बलवंत सिंह जिला चिकित्सालय, भदोही
2	54500016529	14	डा0 मो0 आकिब पुत्र श्री मो0 याकूब	ई0एन0टी0	OBC	278 बाघ अहमद अली खॉन श्यामगंज, बरेली-243005	278 बाघ अहमद अली खॉन श्यामगंज, बरेली-243005	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल
3	54500004367	6	डा0 नितिन कुमार पुत्र श्री ब्रह्मदेव भास्कर	ई0एन0टी0	SC	भास्कर हॉस्पिटल यमुनापार लक्ष्मीनगर राया रोडा लोहबन पी0ओ0, मथुरा-281204	भास्कर हॉस्पिटल यमुनापार लक्ष्मीनगर राया रोडा लोहबन पी0ओ0, मथुरा-281204	जिला चिकित्सालय, मैनपुरी

Signed by धीरेन्द्र सिंह

सचान

Date: 20-09-2023 16:25:05

Reason: Approved

( धीरेन्द्र सिंह सचान )

विशेष सचिव।